

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 295 / 2025

प्रदीप यादव पुत्र पूर्णराम जाति अहीर (यादव) साकिन ढाणी चक 8 एन.के.आर. तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) वादी

बनाम

1. पूर्णराम पुत्र रामसिंह जाति अहीर (यादव) साकिन ढाणी चक 8 एन.के.आर. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. प्रमिला यादव पुत्री पूर्णराम पत्नी महेन्द्र यादव जाति अहीर (यादव) साकिन ढाणी चक 8 एन.के.आर. तहसील संगरिया हाल आबाद श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. पुष्पादेवी पत्नी पूर्णराम जाति अहीर (यादव) साकिन ढाणी चक 8 एन.के.आर. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते क्लरिफिकेशन कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन कतई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में छोड़े गए हिस्सा के संबंध में नियमानुसार पंजीयन शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 8 एनकेआर के खाता सं. 168/75 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में दर्ज कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 पुष्पादेवी पत्नी पूर्णराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने एव प्रतिवादी सं. 3 पुष्पादेवी पत्नी पूर्णराम के नाम चक 8 एनकेआर खाता संख्या 162/158 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में दर्ज कृषि भूमि मे से 1.012 है. आराजी का वादी प्रदीप यादव को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- बैक रहन यथावत रहेगा।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अंदालत से आज दिनांक 12.8.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
राजस्थान